न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

16.12.2024

वाद सं०— **एम०— 20/2024**

वाद का प्रकार— **धारा— 126 भा०ना०सु०सं०**

सत्येन्द्र कुमार —बनाम— अवध कुमार वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०— **50/2024** एवं **डुमरी थाना** अप्राथमिकी काण्ड सं०— **16/2024 दिनांक— 17.05.2024** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में (पूर्व का दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा— 107) धारा— 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए आवेदक सत्येन्द्र कुमार, पिता— स्व० चतुरी साहु, ग्राम— जैरागी, थाना— डुमरी, जिला— गुमला एवं प्रतिवादी 1. अवध कुमार, पिता— संजय कुमार साहु 2. रतनेस कुमार उर्फ तनुज भारती दोनों ग्राम— जैरागी, थाना— डुमरी, जिला— गुमला द्वारा दुकान के लिए अवैध जमीन कब्जा करने को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। **थाना प्रभारी, डुमरी** से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की वैधानिक अवधि समाप्त होने के पश्चात् वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशांधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।
16/12/24

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।
16/12/24

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2025.11.01 14:57:26 +05:30
Location: 10.93.204.131

Scanned with CamScanner